

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक प.8(4)एम.ई./गुप-1/2022

जयपुर, दिनांक: 30 SEP 2022

आदेश

राज्य में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की गवर्नमेन्ट सीट तथा राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी (राजमेस) के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की गवर्नमेन्ट सीट की फीस को एक समान करते हुए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से समस्त राजकीय तथा राजमेस के चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस की फीस की राशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

Part-A		
Tuition fee (Yearly)	Type of Seats	Fees (Rs.)
	Government Seats	60800

Part-B	
	Fees (Rs.)
Admission fee (Once)	17700
Caution Money (Once)	7500
Sports fee (Yearly)	14700
Infrastructure Development & Welfare Fund (Yearly)	7500


Part-C	
	Fees (Rs.)
Hostel Maintenance Charges (Single Seated Room) (Yearly)	29400
Hostel Maintenance Charges (Double Seated Room) (Yearly)	23500
Hostel Maintenance Charges (Triple Seated Room) (Yearly)	19100
Electricity & Water Charges (Yearly)	10300

1. राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में SC, ST, EWS व गर्ल्स विद्यार्थियों की सरकारी सीटों की ट्यूशन फीस माफ होगी।
2. ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, कॉशन राशि, स्पोर्ट्स फीस एवं Infrastructure Development & Welfare Fund में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जायेगी।
3. हॉस्टल मेंटिनेन्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एवं वाटर चार्ज की राशि में भी प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जावेगी। यह फीस महाविद्यालय में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत नये व पुराने समस्त छात्रों से एक समान प्राप्त की जावेगी।
4. प्रतिवर्ष होने वाली फीस वृद्धि की राशि को निकटतम 100 में पूर्णांकित (Round off) किया जायेगा।
5. उक्त फीस 4 वर्ष 6 माह के लिए सेमेस्टर वार प्राप्त की जावेगी।


(इकबाल खान)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा।
5. निदेशक, राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा।
7. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजमेस संचालित चिकित्सा महाविद्यालय, राजस्थान।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
11. नोडल ऑफिसर, वेबसाइट निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
12. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।


(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव